

बिहार सरकार  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)24/2014 4734 /भू0 सं0, पटना, दिनांक 30/11/2017  
प्रेषक,

सुधीर कुमार भा0प्र0से0  
सरकार के प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)  
से परामर्शित।

विषय : केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास (IWMP) 2011-12 (Batch-III) हेतु स्वीकृत राशि 230,16.00 लाख रु0 तथा 2012-13 (Batch-IV), 2013-14 (Batch-V) एवं 2014-15 (Batch-VI) के लिए स्वीकृत राशि 611,38.00 लाख रु0 कुल 841,54.00 लाख रु0 {केन्द्रांश 757,39.00 लाख रु0 तथा राज्यांश 84,15.00 लाख रु0 (90:10)} की लागत से वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2017-18 में योजना कार्यान्वयन हेतु कुल 5338.33 लाख (तिरपन करोड़ अड़तीस लाख तैतीस हजार) रु0 {राज्यांश- 21,35.33 लाख (इक्कीस करोड़ पौतीस लाख तैतीस हजार) रु0 एवं केन्द्रांश- 32,03.00 लाख (बत्तीस करोड़ तीन लाख) रु0} निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृता।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास (IWMP) {2011-12 (Batch-III) हेतु स्वीकृत राशि 230,16.00 लाख रु0 तथा 2012-13 (Batch-IV), 2013-14 (Batch-V) एवं 2014-15 (Batch-VI)} के लिए स्वीकृत राशि 611,38.00 लाख रु0 कुल 841,54.00 लाख रु0 {केन्द्रांश 757,39.00 लाख रु0 तथा राज्यांश 84,15.00 लाख रु0 (90:10)} की लागत से वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2017-18 में योजना कार्यान्वयन हेतु कुल 5338.33 लाख (तिरपन करोड़ अड़तीस लाख तैतीस हजार) रु0 {राज्यांश- 21,35.33 लाख (इक्कीस करोड़ पौतीस लाख तैतीस हजार) रु0 एवं केन्द्रांश- 32,03.00 (बत्तीस करोड़ तीन लाख) रु0} निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह स्वीकृत्यादेश केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास (IWMP) हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्ति की प्रत्याशा में निर्गत किया जाता है। भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्ति के उपरान्त ही स्वीकृत राशि (केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश) का आवंटन आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

3. मंत्रिपरिषद द्वारा अब तक कुल 841,54.00 लाख रु0 की केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम सम्प्रति प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी योजना भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार की स्टेयरिंग कमिटी द्वारा cleared एवं apprised है।

4. राज्य में समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम सम्प्रति प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना जलछाजन विकास की बैचवाईस स्थिति निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	परियोजना		परियोजना की संख्या	परियोजना स्वीकृति वर्ष	राज्य सरकार/मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत योजना की अवधि
	वर्ष	बैच			
1.	2011-12	Batch- III	40	2012-13	2012-13 से 2016-17
2.	2012-13	Batch- IV	24	2014-15	2012-13 से 2017-18
3.	2013-14	Batch- V	26	2014-15	2014-15 से 2018-19
4.	2014-15	Batch- VI	33	2014-15	2014-15 से 2018-19
योग :-			123	.....	.....

5. उपर्युक्त उल्लेखित सभी योजना भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार की स्टेयरिंग कमिटी द्वारा cleared एवं apprised है। योजना हेतु निर्धारित केन्द्रांश की राशि से काफी कम राशि भूमि संसाधन

विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने के कारण योजना की गति धीमी है। वर्तमान स्थिति यह है कि IWMP 2011-12 Batch-III कार्य चरण में है, IWMP 2012-13 (Batch-IV) में कार्य चरण का कार्य आरंभ किया गया है तथा IWMP 2013-14 (Batch-V) एवं 2014-15 (Batch-VI) में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन आदि का कार्य किया जा रहा है। विषयांकित योजना चालू योजना है अतएव समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम हेतु निर्गत मार्ग दर्शिका के अनुसार योजना हेतु निर्धारित अवधि अधिकतम 7 वर्षों में योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल 236,17.00 लाख रु० की परियोजना SLSC से अनुमोदित है।

6. कुल स्वीकृत राशि का बजट शीर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :-

राशि लाख रु० में।

क्र सं	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
<b>केन्द्रांश</b>			
1	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0213 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01-2402001020213 विषय शीर्ष 0213.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन, पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	2658.49	2658.49
2	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0202 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01-2402007890202 विषय शीर्ष 0202.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	512.48	512.48
3	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0209 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01-2402007960209 विषय शीर्ष 0209.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	32.03	32.03
<b>कुल</b>		<b>3203.00</b>	<b>3203.00</b>
<b>राज्यांश</b>			
4	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0313 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01-2402001020313 विषय शीर्ष 0313.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	1772.33	1772.33
5	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0302 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01-2402007890302 विषय शीर्ष 0302.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	341.65	341.65
6	मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0309 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- 01-2402007960309 विषय शीर्ष 0309.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9183	21.35	21.35
<b>कुल</b>		<b>2135.33</b>	<b>2135.33</b>
<b>सकल योग</b>		<b>5338.33</b>	<b>5338.33</b>

7. भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार विकास पटना से स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र बी0टी0सी0 फार्म 46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर अंतर विभागीय अंतरण जमा के माध्यम से राशि बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाइटी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या PLA-265 में अंतरित की जायेगी। यह निकासी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS पटना से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के आलोक में की जायेगी। निकासी की गई राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर महालेखाकार/कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा, साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत राशि का भुगतान PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से किया जायेगा।

8. इस राशि से वाहन/फोटोकॉपियर/वीडियो रिकॉर्डर/प्रोजेक्टर का क्रय, कोई स्थाई भवन निर्माण एवं अन्य पूनीगत वस्तुओं के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। भूमि संसाधन विभाग के पत्रांक K-11012/25/2009-IWMP9IS0 दिनांक 14.09.2009 के अनुपालन में वित्त एवं लेखा से सम्बंधित कर्मी का राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) में होना अनिवार्य होगा। इस स्तर पर कोई नई परियोजना नहीं लेकर चालू योजना को संतुष्ट करने का कार्य किया जायेगा। जहाँ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित National Rural Livelihood Mission (NRLM) का कार्यान्वयन किया जा रहा है उन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन (Livelihood support Activities) से सम्बंधित कार्य NRLM से कनवरजेंस के द्वारा कराया जायेगा। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो को मनरेगा (MGNREGA) से कनवरजेंस के रूप में सम्बद्ध कराया जा सकता है। पारदर्शिता एवं जागरूकता हेतु सभी योजना स्थल पर परियोजना/योजना का नाम, योजना संख्या, प्राक्कलित राशि, व्यय की गई राशि, एवं अक्षांश-देशान्तर सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचना अंकित सूचना पट का होना अनिवार्य है। योजना कार्यान्वयन के सम्बंध में प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है।

9. मंत्रिमंडल संचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96वि0(2)दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में 230,11.00 लाख रु0 की योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या पी0पी0एम0-55/2012 के पृ0 सं0 19/टि0 पर दिनांक 17.08.2012 को प्राप्त है एवं 611,38.00 लाख रु0 की योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या 11/कृ.नि.भू.सं.(यो) 24/2014 के पृ0 26/टि0 पर दिनांक 28.03.2015 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राज्योदश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 11/कृ.नि.भू.सं.(यो) 24/2014 के पृ0 122/टि0 पर दिनांक 23.11.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*[Signature]*  
30.11.2018  
(सुधीर कुमार)

सरकार के प्रधान सचिवा

/भू0सं0, पटना, दिनांक 30/11/2017

ज्ञापांक - 4734

प्रति :- 1. प्रभारी पदाधिकारी अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0ह0) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
30.11.2018

सरकार के प्रधान सचिवा

/भू0सं0, पटना, दिनांक 30/11/2017

ज्ञापांक - 4734

प्रति :- 1. माननीय मंत्री, कृषि बिहार के आप्त सचिव/ श्री अमित कुमार, निदेशक (ज0वि0) भूमि संसाधन विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार/ विकास आयुक्त, बिहार -सह- अध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. कृषि निदेशक, बिहार/ निदेशक उद्यान, बिहार/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/सभी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी -सह- सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, मुख्यालय -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना एवं आई0टी0मैनेजर कृषि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
30.11.2018

सरकार के प्रधान सचिवा

32